

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (पेंशन) अनुभाग-10
संख्या: 256643/XXVII(10)/E-
22807/2022 देहरादून: दिनांक: 29 अक्टूबर,
2024

कार्यालय ज्ञाप

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन 7वें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-199033/XXVII(7)/E-22807/2022, दिनांक-14 मार्च, 2024 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए, दिनांक 01.07.2024 से 50% के स्थान पर 53% की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्रविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

Government of Uttarakhand
Finance (Pension) Section-10
No- 256643/XXVII(10)/E-22807/2022
Dehradun: Dated 29 October, 2024

G11/29-X-2

Office Memorandum

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01.07.2024 @ 53% instead of 50% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 199033/XXVII(7)/E-22807/2022 Dated 14 March, 2024 for those pensioners whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commissions.

2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission; Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.

3. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए
-1-252/दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

5. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध, जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

Signed by

Dilip Jawalkar

Date: 29-10-2024 11:43:26

4. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

5. Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

(Dilip Jawalkar)

Secretary.

संख्या-252/दस/10(3)-81/XXVII(7)/E-22807/2022, तददिनांक।

No. 252/13 XXVII(7)/E-22807/2022, the dated.

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

1- Secretary, to the Governor, Uttarakhand.

2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2- All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.

3. अपर मुख्य सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम को वित्तों की दृष्टिगत रखते हुए निकाय/ उपक्रम के कार्यों को मंहगाई राहत अनुमत्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

3- Additional Chief Secretary/Secretary, Public Industry/ Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admissibility of dearness relief may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/undertaking and there is no need of finance Department Consent.

4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

4- All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.

5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

5- All Heads of Departments /Offices, Uttarakhand.

6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा

6- Accountant General Uttarakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun along with 50 extra copies with the request

प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, डालनवाला, देहरादून।
8. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 50 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग-10, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

that account officers of other states be also informed please.

- 7- Director, Treasury, Pension and Hukdari, Uttrakhand .
- 8- Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand
- 9- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.
- 10- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 50 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-10, Govt. of Uttarakhand Please.

आज्ञा से,

(अमिता जोशी)
अपर सचिव।

By Order,

(Amita Joshi)
Additional Secretary.